INDIA

Treaty Series No. 31 (1987)

Agreement

between the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of India

concerning Public Officers' Pensions

New Delhi, 12 June 1986

[The Agreement entered into force on 25 October 1986]

Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
by Command of Her Majesty
July 1987

LONDON
HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE
£2·60 net

Cm 181

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF INDIA CONCERNING PUBLIC OFFICERS' PENSIONS

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of India have agreed as follows:

ARTICLE 1

Interpretation

In this Agreement, except where the context otherwise requires:

(a) " actuary " means a Fellow of the Institute of Actuaries or of the Faculty of Actuaries in Scotland;

(b) " the appointed day " means the day mutually arranged between the Government of the United Kingdom and the Government of India;

(c) " the India element " in relation to a pension means:

(i) in respect of a pension arising from death resulting from a wound, injury or disease received or contracted on duty, or a pension arising from such wound, injury or disease, being a pension awarded under the Civil Service Regulations or any Regulations or Rules amending or replacing these Regulations which results from an occurrence during relevant service, the whole cost;

(ii) in the case of any other pension, that proportion of the pension which the total pensionable emoluments enjoyed by the official during his relevant service bears to the total pensionable emoluments enjoyed by him throughout his public service;

(d) " official " means:

(i) an officer appointed to the service of the Crown in a civil capacity by the Secretary of State for India or the Governor General of India; or

(ii) an officer or warrant officer of the Armed Forces of India or an officer of the Indian Medical Service; or

(iii) a non-commissioned officer or other rank of the Armed Forces of India in receipt of a disability pension under the Royal Warrant; and who receives or received a pension or at death in service would have been pensionable in respect of service which

(aa) ended before 15 August 1947; or

(bb) terminated as a result of the Indian Independence Act 1947; or

(cc) began before 15 August 1947 and was rendered by a person who, in the opinion of the Government of the United Kingdom, was domiciled outside Asia at the time of appointment;

and who was not a citizen of Burma, India or Pakistan or a national of South Yemen on 1 April 1971 or on the date of his death if earlier or who having retired from the public service after 1 April 1971, is not or was not a citizen of Burma, India or Pakistan, or a national of South Yemen at the time of his retirement;

(e) " pension " means any pension or gratuity, or any retiring allowance or other like benefit, or any increase of pension, payable under the Regulations and Rules governing the award of pensions by the Government of India to or in respect of any official;

(f) " pensionable emoluments " means the pay or salary of the official and, where pension is determined by reference to emoluments, any other emoluments taken into account in determining the pension of the official;

167084 A2

(g) " Regulations and Rules governing the award of pensions " means:

(i) any Regulations and Rules in force in India at any time prior to 1 April 1971 and enacted prior to that date providing for pensions in respect of public service, and any law providing for such pensions enacted after that date and accepted by the Government of the United Kingdom for the purposes of this Agreement; and

(ii) any other law, regulation, rule or administrative direction accepted by the Government of the United Kingdom and the Government of India for the purposes of this Agreement;

(h) " public service " means service in a civil or military capacity under the Government of India;

(i) " relevant service " means public service under the Government of India on or after 15 August 1947;

(j) " the taxation element " means the sum accepted by the two Governments as being equivalent to the proceeds of income tax or any similar direct tax received by the Government of India on any sums which are reimbursable in accordance with sub-paragraph (1) (*d*) of Article 3.

ARTICLE 2

Assumption of Responsibility by the Government of the United Kingdom

As from the appointed day[1] the Government of the United Kingdom shall assume from the Government of India the responsibility for the control, administration and payment of pensions which have been awarded before the appointed day and for the award, control, administration and payment of pensions which would fall to be awarded on or after the appointed day.

ARTICLE 3

Obligations of the Government of the United Kingdom

(1) The Government of the United Kingdom undertake:

(a) that they shall award, control, administer and pay the pensions referred to in Article 2 of this Agreement to or in respect of the persons concerned in accordance with the principles and rules contained in the Regulations and Rules governing the award of pensions, with such modifications as may be necessary in consequence of the transfer of responsibility under this Agreement or in accordance with such other principles and rules as the Government of the United Kingdom consistently with the next following paragraph may from time to time determine;

(b) that apart from any modifications arising from the pensions being payable out of public moneys of the United Kingdom they shall not apply to or in respect of any official different provisions from those contained in the Regulations and Rules governing the award of pensions (other than any provisions, express or implied, relating to the currency and method of payment of a pension) so as to make such provisions less favourable to any beneficiary or potential beneficiary than the provisions applicable to him on the appointed day; Provided that if a beneficiary or potential beneficiary elects to have any provision applied to him, that provision shall be taken to be more favourable to him;

(c) that if the Government of India should be adjudged by the order of a competent court of law having jurisdiction in India to be liable to pay to or in respect of an official any sum in respect of a pension for which the Government of the United Kingdom have assumed responsibility under this Agreement, the Government of the United Kingdom shall repay to the Government of India, any sum paid to such person for the purpose of complying with the order of the court; but in this event the Government of the United Kingdom shall be free to reduce by corresponding sums, or totally to withhold, any payments of the same pension to or in respect of that person which would otherwise fall to be made by them under this Agreement;

---

[1] The Appointed Day is 1 November 1986.

(d) that they shall reimburse the Government of India, in accordance with such procedures as may be mutually arranged between the two Governments, the aggregate amount, less the taxation element, of the following payments due on or after 1 April 1971, being amounts due under the Regulations and Rules governing the award of pensions, and made by the Government of India to or in respect of officials:

(i) the full cost of payments representing that proportion of a pension (other than a pension awarded under the Civil Service Regulations or any Regulations or Rules amending or replacing these Regulations arising from death resulting from a wound, injury or disease received or contracted on duty, or a pension arising from a wound, injury or disease not resulting in death) or gratuity payable to or in respect of the official which accrues from public service before 15 August 1947;

(ii) the full cost of payments representing a pension awarded under the Civil Service Regulations or any Regulations or Rules amending or replacing these Regulations arising from death resulting from a wound, injury or disease received or contracted on duty, or a pension arising from a wound, injury or disease not resulting in death, being a wound, injury or disease received or contracted before 15 August 1947.

(2) For the purposes of sub-paragraph (1) (d) (i) of this Article the proportion of a pension or gratuity which accrues from public service before 15 August 1947 is that proportion which the total pensionable emoluments received by the official from his public service prior to 15 August 1947 bears to his total pensionable emoluments received from all his public service.

ARTICLE 4

Obligations of the Government of India

(1) The Government of India undertake:

(a) that they shall remain responsible for any instalments of pension which remain unpaid on the appointed day;

(b) that they shall as from the appointed day relinquish responsibility for the award, control, administration and payment of any pension otherwise than in accordance with the terms of this Agreement;

(c) that they shall pay to the Government of the United Kingdom in accordance with such arrangements as may be accepted by the two Governments in respect of an official, a sum representing the cost, if any, of the India element of such pension.

(2) The sum payable under sub-paragraph (1) (c) of this Article shall be actuarially determined jointly by two actuaries, one nominated by the Government of the United Kingdom, the other nominated by the Government of India and shall be reduced by a sum accepted by the two Governments as representing the tax which the Government of India would have received in respect of the India element of the pensions

ARTICLE 5

Supply of Information

Each of the Parties to this Agreement shall, whenever requested to do so by the other Party, supply to that Party, such information in connection with the operation of the arrangements contained in this Agreement as may be specified in such request.

ARTICLE 6

Modification of this Agreement

If the Government of the United Kingdom and the Government of India mutually decide that this Agreement should be modified in any particular case or class of cases, the foregoing provisions of this Agreement shall be applied to such case or cases with such modifications, additions or exceptions as may be necessary to give effect to such mutual decision.

ARTICLE 7

Entry into Force

Each of the Parties to this Agreement shall notify the other Party in writing as soon as it is in a position to carry out the Agreement, and this Agreement shall enter into force on the date of the later of these two notifications.[1]

ARTICLE 8

Citation

This Agreement may be cited as the Public Officers' Pensions (India) Agreement 1986.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done on this 12th day of June, 1986, in New Delhi on two original copies each in the English and Hindi languages, both texts being equally authoratitive. In case of divergence between the two texts, the English text will be the operative one.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:	For the Government of India:
N H R A BROOMFIELD	S VENKITARAMANAN

[1] The Agreement entered into force on 25 October 1986.

ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैण्ड
की यूनाइटेड किंगडम की सरकार और
भारत सरकार

के बीच

लोक अधिकारियों की पेंशन
के सम्बन्ध में

करार

ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैण्ड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार और भारत सरकार निम्नलिखित बातों पर सहमत हुई हैं, अर्थात्:

अनुच्छेद - 1

निर्वचन

इस करार में सिवाय उस स्थिति के जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो;

(क) "जीवनांकक (एक्चुयेरी)" का अर्थ है स्काटलैण्ड जीवनांकक संस्थान अथवा जीवनांकक संकाय का अधिसदस्य (फैलो);

(ख) "नियत दिन" का अर्थ है, वह दिन जो कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार तथा भारत सरकार के बीच पारस्परिक सहमति से तय किया गया हो;

(ग) किसी पेंशन के संदर्भ में "भारतीय अवयव" का अर्थ है :

(I) कर्तव्यपालन के दौरान लगे घाव या आघात के कारण अथवा उसी दौरान लगे किसी रोग के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु से उत्पन्न पेंशन के सम्बन्ध में, अथवा ऐसे घाव, आघात अथवा रोग से उत्पन्न पेंशन के सम्बन्ध में जो कि ऐसी पेंशन हो, जो सिविल सेवा विनियमों अथवा इन विनियमों में संशोधन करने वाले या इनको प्रतिस्थापित करने वाले विनियमों अथवा नियमों के अन्तर्गत दी गई है, और जो कि संगत सेवा के दौरान हुई किसी घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो, समस्त लागत :

(II) किसी अन्य पेंशन के मामले में, पेंशन का वह आनुपातिक अंश जो कि लोक अधिकारी द्वारा अपनी संगत सेवा की अवधि के दौरान प्राप्त की गई समग्र पेंशन-योग्य परिलब्धियों तथा उस अधिकारी द्वारा अपनी लोक सेवा की समग्र अवधि में प्राप्त की गई कुल पेंशन-योग्य परिलब्धियों के बीच का अनुपात रहा हो;

(घ) "अधिकारी" का अर्थ है :

(I) "सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया" अथवा भारत के गवर्नर जनरल द्वारा असैनिक हैसियत में, क्राउन की सेवा के लिए, नियुक्त कोई अधिकारी; अथवा

(II) भारत के सशस्त्र बलों का कोई अधिकारी या वारंट आफीसर अथवा भारतीय चिकित्सा सेवा का कोई अधिकारी; अथवा

(III) भारत के सशस्त्र बलों का कोई नान कमीशन्ड आफीसर या अन्य रैंक धारी जो रायल वारंट के अन्तर्गत अपंगता पेंशन प्राप्त कर रहा हो; और जो ऐसी सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करता रहा हो अथवा सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर पेंशन प्राप्त करता जो सेवा:

(कक) 15 अगस्त, 1947 से पहले ही समाप्त हो गई; अथवा

(खख) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गई; अथवा

(गग) जो सेवा 15 अगस्त, 1947 से पहले शुरू हुई और ऐसे व्यक्ति ने वह सेवा की जो कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार की राय में नियुक्ति के समय एशिया से बाहर का अधिवासी था और जो बर्मा, भारत अथवा पाकिस्तान का नागरिक नहीं था और जो कि पहली अप्रैल, 1971 को अथवा उसकी मृत्यु की तारीख को, यदि मृत्यु पहले हो गई हो, दक्षिणी यमन का नागरिक नहीं था अथवा जो पहली अप्रैल, 1971 के बाद लोक सेवा से सेवा निवृत्त होने के बाद बर्मा, भारत अथवा पाकिस्तान का नागरिक नहीं है या नहीं था, अथवा अपनी सेवा-निवृत्ति के समय दक्षिणी यमन का राष्ट्रिक नहीं था;

(ङ) "पेंशन" का अर्थ है, किसी अधिकारी के संबंध में भारत सरकार द्वारा पेंशन अदायगी को शासित करने वाले विनियमों और नियमों के अन्तर्गत देय कोई पेंशन अथवा उपदान, अथवा कोई सेवा निवृत्ति भत्ता या अन्य कोई तत्समान लाभ, अथवा पेंशन में की गई कोई भी वृद्धि;

(च) "पेंशन योग्य परिलब्धियां" का अर्थ है, अधिकारी का वेतन अथवा संवेतन और जिस मामले में पेंशन का निर्धारण परिलब्धियों के आधार पर किया गया हो, ऐसी अन्य परिलब्धियां जिनको अधिकारी की पेंशन का निर्धारण करने के लिए हिसाब में सम्मिलित किया गया हो;

(छ) "पेंशन की अदायगी को शासित करने वाले विनियम तथा नियम" का अर्थ है;

(I) पहली अप्रैल, 1971 से पूर्व भारत में किसी भी समय प्रवृत्त और उस तारीख से पहले अधिनियमित कोई भी विनियम तथा नियम जिनके अन्तर्गत लोक-सेवा के सम्बन्ध में पेंशनों की अदायगी करने की व्यवस्था की गई हो, तथा ऐसी पेंशनों की व्यवस्था करने वाला कोई भी ऐसा कानून जो कि उस तारीख के बाद अधिनियमित किया गया हो तथा जिसे इस करार के प्रयोजनों के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने स्वीकार कर लिया हो; तथा

(II) इस करार के प्रयोजन के लिए भारत सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा स्वीकृत कोई दूसरा कानून, विनियम, नियम अथवा प्रशासनिक निदेश;

(ज) "लोक-सेवा" का अर्थ है भारत सरकार के अधीन असैनिक अथवा सैनिक हैसियत में सेवा;

(झ) "संगत सेवा" का अर्थ है, भारत सरकार के अधीन 15 अगस्त, 1947 को या तत्पश्चात् सेवा;

(ञ) "कराधान अवयव" का अर्थ है वह राशि जो दोनों सरकारों द्वारा, किन्हीं राशियों पर भारत सरकार को आयकर अथवा तत्समान किसी अन्य प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त उन रकमों के बराबर मान ली गई हो जो कि अनुच्छेद-3 के उप-पैराग्राफ (1) (घ) के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य हों।

अनुच्छेद - 2

यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा उत्तरदायित्व ग्रहण

नियत दिन से, यूनाइटेड किंगडम की सरकार, भारत सरकार से ऐसी पेंशनों के नियंत्रण, प्रशासन तथा भुगतान का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लेगी जो कि नियत दिन से पहले दे दी गई है तथा ऐसी पेंशनों की मंजूरी उसके नियंत्रण, प्रशासन तथा भुगतान का उत्तरदायित्व भी ग्रहण कर लेगी जो कि नियत दिन को या उसके पश्चात् मंजूर की जाती है।

अनुच्छेद - 3

यूनाइटेड किंगडम की सरकार के दायित्व

(1) यूनाइटेड किंगडम की सरकार वचन देती है कि :

(क) वह इस करार के अन्तर्गत उत्तरदायित्व के अंतरण के परिणामस्वरूप अपेक्षित संशोधनों के साथ, पैंशनों की मंजूरी को शासित करने वाले विनियमों तथा नियमों में समाविष्ट सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार अथवा ऐसे अन्य सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की सरकार अगले परवर्ती पैराग्राफ के सामंजस्य में समय-समय पर अवधारित करे, सम्बद्ध व्यक्तियों को अथवा उनके लिए इस करार के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट पैंशनें मंजूर, नियंत्रित, प्रशासित और अदा करेगी ।

(ख) ऐसे किन्हीं परिवर्तनों के अतिरिक्त जो कि इस बात से करने पड़ें कि पैंशनों को यूनाइटेड किंगडम की लोक-धनराशियों में से अदा किया जाना है, वह किसी भी अधिकारी पर या उसके संबंध में उन उपबन्धों से, जो कि पैंशन अदायगी को शासित करने वाले विनियमों तथा नियमों में समाविष्ट उपबन्धों से भिन्न (किसी पैंशन के प्रवर्तन तथा उसकी अदायगी से संबंधित अभिव्यक्त अथवा विवक्षित उपबन्धों से भिन्न) होंगे, इस रीति से लागू नहीं करेगी जिससे कि ऐसे उपबन्ध किसी भी पैंशन के हिताधिकारी या संभावित हिताधिकारी को, उस पर नियत दिन को लागू होने वाले उपबन्धों से कम अनुकूल हो जाएं; किन्तु, यदि कोई पैंशन का हिताधिकारी या संभावित हिताधिकारी किसी भी उपबन्ध को अपने ऊपर लागू करवाने के लिए चुने, तो उस उपबन्ध को उसके लिए अधिक अनुकूल मान लिया जाएगा;

(ग) यदि भारत में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा भारत सरकार को, किसी अधिकारी को या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी पैंशन के मामले में कोई धनराशि अदा करने के लिए दायी अधिनिर्णीत कर दिया गया हो, जिसके लिए इस करार के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया हो, तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार भारत सरकार को न्यायालय के आदेश के अनुपालन के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति को अदा की गई कोई भी राशि वापस अदा करेगी, किन्तु इस दशा में, यूनाइटेड किंगडम की सरकार, उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के सम्बन्ध में दी जाने वाली पैंशन की किसी भी ऐसी अदायगी में से तदनुरूप धनराशियां घटाने अथवा उसको पूर्ण रूप से रोक लेने के लिए स्वतंत्र होगी, जिनको इस करार के अन्तर्गत अन्यथा अदा करने का दायित्व उस पर होगा;

(घ) वह, पहली अप्रैल, 1971 को या उसके पश्चात् देय निम्नलिखित अदायगियों की कुल राशि की प्रतिपूर्ति, जो कि पैंशनों की मंजूरी को शासित करने वाले विनियमों तथा नियमों के अन्तर्गत देय धनराशि होगी और जिसे अधिकारियों या उनके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अदा किया जाएगा, कर सम्बन्धी अवयव को घटाकर, भारत सरकार को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार कर देगी जिसे दोनों सरकारों की पारस्परिक सहमति से निर्धारित किया जाएगा :

(i) ऐसी अदायगियों की पूरी लागत, जो कि एक अधिकारी को या उसके सम्बन्ध में देय पैंशन (ऐसी पैंशन से भिन्न जो सिविल सेवा विनियमों के अंतर्गत या इन विनियमों को संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले किन्हीं विनियमों या नियमों के अन्तर्गत ड्यूटी पर किसी घाव के लगने, आघात पहुंचने या रोग लगने के परिणामस्वरूप मृत्यु होने पर मंजूर की गई हो अथवा ऐसा घाव लगने, ऐसा आघात पहुंचने या ऐसा रोग लगने के परिणामस्वरूप मंजूर की गई हो जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु न हुई हो) या उपदान के उस अनुपात की द्योतक हो जो कि 15 अगस्त, 1947 से पहले की गई लोक-सेवा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ हो;

(ii) ऐसी अदायगियों की पूरी लागत, जो कि उस पैंशन की द्योतक हो जो सिविल सेवा विनियमों अथवा इन विनियमों को संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले विनियमों अथवा नियमों के अंतर्गत, कर्तव्य काल में किसी घाव के लगने, आघात पहुंचने अथवा रोग लगने के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के कारण मंजूर की गई हो अथवा ऐसी पैंशन की द्योतक हो जो कि किसी ऐसे घाव के लगने, ऐसा आघात पहुंचने, अथवा रोग लगने के कारण उत्पन्न हुई हो जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु तो न हुई हो परन्तु वह घाव, आघात अथवा रोग 15 अगस्त, 1947 से पहले लगा हो।

(2) इस अनुच्छेद के उप-पैराग्राफ (1)(घ)(i) के प्रयोजनों के लिए किसी पैंशन या उपदान का, 15 अगस्त, 1947 से पहले की गई लोक सेवा से उत्पन्न अनुपात वह अनुपात होगा जो कि अधिकारी द्वारा 15 अगस्त, 1947 से पूर्व की गई लोक सेवा के सम्बन्ध में प्राप्त कुल पैंशन-योग्य परिलब्धियों तथा उसके द्वारा उसकी समस्त लोक-सेवा के सम्बन्ध में प्राप्त कुछ पैंशन-योग्य परिलब्धियों के बीच होगा।

अनुच्छेद - 4

भारत सरकार के दायित्व

(1) भारत सरकार इस बात के लिए वचन देती है :

(क) कि वह पैंशन की ऐसी किन्हीं भी किस्तों के लिए उत्तरदायी होगी जो कि नियत दिन को अप्रदत्त रह गई हों;

(ख) कि वह नियत दिन से, किसी भी ऐसी पैंशन की मंजूरी उसके नियंत्रण, प्रशासन तथा भुगतान का उत्तरदायित्व छोड़ देगी जो कि इस करार के उपबन्धों के अनुरूप नहीं होगा;

(ग) कि वह एक अधिकारी के सम्बन्ध में यूनाइटेड किंगडम की सरकार को, एक राशि, जो कि ऐसी पैंशन के भारतीय अवयव की लागत, यदि कोई हो, की द्योतक होगी, ऐसी व्यवस्थाओं के अनुसार अदा करेगी, जिन्हें दोनों सरकारों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

(2) इस अनुच्छेद के उप-पैराग्राफ (1)(ग) के अन्तर्गत देय धनराशि का जीवनांकिक निर्धारण, दो जीवनांककों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिनमें से एक यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा और दूसरे का नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और उस धनराशि में से वह राशि घटा दी जाएगी जो दोनों सरकारों द्वारा स्वीकृत कर की राशि की द्योतक होगी, जिसे भारत सरकार ने निधियों के "भारतीय अवयव" के सम्बन्ध में प्राप्त किया होगा ।

अनुच्छेद - 5

सूचना उपलब्ध कराना

इस करार के पक्षों में से प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष के द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उसे इस करार में विहित व्यवस्था के प्रवर्तन के सम्बन्ध में , ऐसी सूचना देगा जो उस अनुरोध में विनिर्दिष्टत: मांगी गई हो ।

अनुच्छेद - 6

इस करार का संशोधन

यदि यूनाइटेड किंगडम की सरकार और भारत सरकार परस्पर यह निर्णय करें कि इस करार में किसी विशेष मामले में या मामलों के किसी विशेष वर्ग के सम्बन्ध में संशोधन किया जाना चाहिए तो ऐसे मामले या मामलों पर इस करार के उपर्युक्त उपबन्धों को ऐसे संशोधनों, परिवर्द्धनों अथवा अपवादों के साथ लागू किया जाएगा जो कि ऐसे पारस्परिक निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक होंगे ।

अनुच्छेद - 7

प्रवर्तन

इस करार के पक्षों में से प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को उस समय लिखित रूप में अधिसूचित कर देगा जब वह इस करार को कार्यान्वित करने की स्थिति में हो जाएगा और यह करार इन दोनों अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगा ।

अनुच्छेद - 8

प्रोद्धरण

इस करार को लोक अधिकारी पैंशन (भारत) करार, 1986 के नाम से प्रोद्धृत किया जाएगा ।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने, जो कि अपनी-अपनी सरकारों के द्वारा सम्यक रूप से इस कार्य के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में आज दिनांक 1986 को अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया; दोनों पाठ समान रूप से आधिकारिक हैं । दोनों पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रवर्ती होगा ।

ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैण्ड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार की ओर से :

N H R A BROOMFIELD

भारत सरकार की ओर से :

S VENKITARAMANAN

Printed by Her Majesty's Stationery Office
Dd 801181 C7 7/87 3167084